

प्रेषक,

एल.एन.पन्त,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून:दिनांक: 06 :नवम्बर,2012

विषय:-तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के आधार पर समस्त क्षेत्र पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु द्वितीय अर्थात अन्तिम किश्त की धनराशि का संक्रमण।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार प्रदेश की समस्त क्षेत्र पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2012-13 की द्वितीय अर्थात अन्तिम किश्त ₹126997000.00(द्वारह करोड़ उन्हत्तर लाख सतानब्बे हजार मात्र) को संलग्नक में अंकित धनराशि के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2-उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही है:-

(i)- संक्रमित की जा रही धनराशि वेतन एवं भत्तों आदि पर व्यय नहीं की जा सकेगी।

(ii) प्रत्येक क्षेत्र पंचायत को संक्रमित धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से ट्रेजरी चैक/क्रास्ट बैंक ड्राफ्ट द्वारा 15 दिन के भीतर खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

3- संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग केवल अन्तर ग्रामीण कार्यों पर ही किया जायेगा।

4- संक्रमित धनराशि के समुचित उपयोग के लिए विभागीय अधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

5- उपयोगिता प्रमाण-पत्र निदेशक, पंचायती राज द्वारा महालेखाकार, उत्तराखण्ड/ वित्त आयोग निदेशालय, कक्ष संख्या-19, सचिवालय, पूर्वी ब्लाक, देहरादून, उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव, ग्राम्य विकास/पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन को भेजा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।

4


प्रमाण-पत्र के साथ कराये गये कार्यों का पूर्ण विवरण (कराये गये कार्य का नाम तथा व्यय की धनराशि सहित) भी भेजना होगा।

6- वित्तीय वर्ष 2010-11/2011-12 व वित्तीय वर्ष 2012-13 में अभी तक अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र 15 दिसम्बर, 2012 तक अवश्य उपलब्ध कराने होंगे तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व निदेशक, पंचायती राज का होगा।

7- संक्रमित धनराशि वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक-3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेत्तर-02-पंचायती राज संस्थाएं-197-विकास खण्ड स्तरीय पंचायत-03-राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन-00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,


(एल.एन.पन्त)


अपर सचिव, वित्त।

संख्या:-548(1)/XXVII(1)/2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊ मण्डल,उत्तराखण्ड।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- निदेशक, लेखा एवं हकदारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
- 7- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 8-समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 9- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 10-निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
- 11- निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, कक्ष संख्या- 19, सचिवालय,पूर्वी ब्लाक,देहरादून, उत्तराखण्ड शासन।
- 12-एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,


(एल.एन.पन्त)

अपर सचिव, वित्त।

शासनादेश संख्या 54-XXVII(1)/2012 दिनांक: 06 :नवम्बर,2012 का संलग्न
तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर क्षेत्र पंचायतों को वित्तीय वर्ष
2012-13 में देय द्वितीय किश्त की धनराशि का विवरण।

(रुहजार में)

जनपद का नाम	क.सं.	क्षेत्र पंचायत का नाम	द्वितीय किश्त हेतु कुल देय धनराशि
1	2	3	4
1- अल्मोडा	1	भैसियाछाना	676
	2	भिक्यासैण	950
	3	चौखुटिया	1077
	4	धौलादेवी	1327
	5	द्वाराहाट	1275
	6	हवलबाग	1355
	7	लमगड़ा	1075
	8	सल्ट	1319
	9	स्याल्दे	1096
	10	ताकुला	992
	11	ताडीखेत	1369
		योग	12511
2- बागेश्वर	1	बागेश्वर	1976
	2	गरुड़	1349
	3	कपकोट	1783
		योग	5108
3- चमोली	1	दशोली	1301
	2	देवाल	944
	3	गैरसैण	1425
	4	घाट	969
	5	जोशीमठ	2624
	6	कर्णप्रयाग	1142
	7	नारायणबगड़	964
	8	पोखरी	1146
	9	थराली	968
		योग	11483
4- चम्पावत	1	बाराकोट	676
	2	चम्पावत	1559
	3	लोहाघाट	929
	4	पाटी	1037
		योग	4201
5- देहरादून	1	चकराता	1180
	2	डोईवाला	2186
	3	कालसी	1080
	4	रायपुर	1473
	5	सहसपुर	1941
	6	विकासनगर	1920
		योग	9780

तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर क्षेत्र पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2012-13 में देय द्वितीय किश्त की धनराशि का विवरण।

(रुहजार में)


जनपद का नाम	क.सं.	क्षेत्र पंचायत का नाम	द्वितीय किश्त हेतु कुल देय धनराशि
1	2	3	4
6- हरिद्वार	1	बहादुराबाद	3506
	2	भगवानपुर	2629
	3	खानपुर	740
	4	लक्सर	2079
	5	नारसन	2530
	6	रूड़की	3018
			योग
7- नैनीताल	1	बेतालघाट	852
	2	भीमताल	879
	3	धारी	598
	4	हल्द्वानी	1716
	5	कोटाबाग	798
	6	ओखलकाण्डा	914
	7	रामगढ़	750
			योग
8- पौड़ी	1	बीरौखाल	1113
	2	दुगड़डा	1532
	3	द्वारीखाल	1229
	4	एकेश्वर	851
	5	कल्जीखाल	911
	6	खिर्सू	661
	7	कोट	766
	8	लैंसडाउन	851
	9	नैनीडांडा	923
	10	पाबो	1022
	11	पौड़ी	772
	12	पोखड़ा	699
	13	रिखडीखाल	930
	14	थलीसैण	1348
	15	यमकेश्वर	1148
		योग	14756
9- पिथौरागढ़	1	बेरीनाग	1197
	2	धारचूला	2605
	3	डीडीहाट	981
	4	गंगोलीहाट	1565
	5	कनालीछीना	1211
	6	मुनाकोट	1117
	7	मुनस्थारी	2432
	8	पिथौरागढ़	1138

तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर क्षेत्र पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2012-13 में देय द्वितीय किश्त की धनराशि का विवरण।

(रुहजार में)

जनपद का नाम	क.सं.	क्षेत्र पंचायत का नाम	द्वितीय किश्त हेतु कुल देय धनराशि
1	2	3	4
		योग	12246
10- रुद्रप्रयाग	1	अगस्तमुनि	2179
	2	जखोली	1313
	3	ऊखीमठ	1445
		योग	4937
11- टिहरी	1	भीलंगना	2496
	2	चम्बा	1253
	3	देवप्रयाग	1225
	4	जाखणीधार	1101
	5	जौनपुर	1420
	6	कीर्तिनगर	990
	7	नरेन्द्रनगर	1200
	8	प्रतापनगर	1204
	9	थौलधार	1094
		योग	11983
12- उधमसिंह नगर	1	बाजपुर	1614
	2	गदरपुर	1619
	3	जसपुर	1544
	4	काशीपुर	849
	5	खटीमा	2415
	6	रुद्रपुर	1731
	7	सितारगंज	2260
		योग	12032
13- उत्तरकाशी	1	भटवाड़ी	1224
	2	चिन्वालीसौड	941
	3	डुण्डा	1110
	4	मोरी	505
	5	नौगांव	1330
	6	पुरोला	632
		योग	5742
		कुल योग	126997

(रुबारह करोड़ उनहत्तर लाख सतानब्बे हजार मात्र)


(एल.एन.पन्त)
अपर सचिव वित्त।